

THDC INSTITUTE OF HYDROPOWER ENGINEERING & TECHNOLOGY

(CONSTITUENT INSTITUTE OF UTTARAKHAND TECHNICAL UNIVERSITY)

Bhagirthipuram, Tehri, Uttarakhand, India

पत्रांक / 1918 / टीएचडीसी-आईएचईटी / 16

दिनांक: 08/09/2016

सूचना

बी0टैक0, प्रथम वर्ष के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2016-17 की छात्रवृत्ति हेतु www.escholarship.uk.gov.in पर अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र दि0 30/11/2016 तक Online भरें, तथा द्वितीय वर्ष तृतीय वर्ष तथा चतुर्थ वर्ष के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति व पिछड़ी जाति के छात्र/छात्राए वर्ष 2016-17 की छात्रवृत्ति हेतु www.escholarship.uk.gov.in पर अपना छात्रवृत्ति आवेदन पत्र दि0 15/09/2016 तक Online भरें। सभी छात्र/छात्राए Online आवेदन पत्र की प्रति व अन्य दस्तावेजों के साथ उपकुलसचिव कार्यालय में जमा करें जायेंगे। उपकुलसचिव कार्यालय में आवेदन पत्र Online तिथि के एक दिन पहले तक जमा करना आवश्यक है। उक्त तिथि के बाद कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा।

9. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति (SC/ST) के छात्र/छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय ₹0 2,50,000/- से अधिक न हो तथा जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, तभी छात्रवृत्ति आवेदन पत्र स्वीकार किये जायेंगे।
10. पिछड़ी जाति (OBC) के छात्र/छात्राओं के अभिभावक की वार्षिक आय ₹0 1,00,000/- से अधिक न हो तथा जाति प्रमाण पत्र व आय प्रमाण पत्र तहसीलदार द्वारा प्रमाणित होने चाहिए।
11. माता/पिता वेतन प्रमाण पत्र (प्राधिकृत राज्य अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे न हो)।
12. छात्रवृत्ति आवेदन पत्र केवल उत्तराखण्ड राज्य के छात्र/छात्राओं द्वारा ही भरा जायेगा।

(बनीत नेगी)

सहायक, उपकुलसचिव
Asst. Registrar

THDC Institute of Hydropower
Engineering and Technology
Bhagirthipuram, Tehri Garhwal-249001
Uttarakhand

नोट:- आवेदन पत्र के साथ निम्न प्रमाण पत्र संलग्न करने अनिवार्य है।

3. छात्र/छात्रा द्वारा हस्ताक्षर की गयी पासपोर्ट आकार का फोटो, 2. सभी उत्तीर्ण परीक्षाओं से सम्बन्धित हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट/डिग्री/डिप्लोमा इत्यादि प्रमाण पत्रों की सत्यापित प्रतियां, 3. प्राधिकृत राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार से नीचे न हो, के द्वारा तथा विधि हस्ताक्षर किये हुये जाति प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, 4 माता-पिता/अभिभावक की सभी स्रोतों से आय का पत्र तथा आय प्रमाण पत्र, 5 योजना के अन्तर्गत छात्र/छात्रा को दी गयी छात्रवृत्ति की संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित की गयी प्राप्ति रसीद, 6 संस्थाध्यक्ष द्वारा प्रमाणित रिफण्डेबल/नानरिफण्डेबल शुल्कों का मदवार विवरण, 7 हास्टल में रहने का प्रमाण पत्र, 8 सम्बन्धित संस्था को प्रदत्त मान्यता तथा निर्धारित शुल्क के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत शासनादेश की स्त्यापित प्रति, 9 माता/पिता/अभिभावक सेवारत्त हों तो कार्यालयाध्यक्ष द्वारा प्रदत्त (Pay Slip) वेतन प्रमाण पत्र की प्रति, 10 कहीं भी पूर्ण कालिक सेवा में कार्यरत्त न होने तगी स्वयं की आय एवं पूर्व में किसी अन्य व्यवसायिक प्रशिक्षण प्राप्त न करने के सम्बन्ध में शपथ पत्र, 11 छात्रवृत्ति हेतु ₹0 10 के स्टॉप पर छात्र/छात्रा द्वारा शपथ पत्र।